जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनॉक 02 फरवरी, 2023 को प्रस्तावित जिला उद्योग मित्र बैठक एजेण्डा

विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि : महोदय अवगत होना चाहे कि जिला उद्योग मित्र की बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला उद्योग मित्र समिति की अध्यक्षता में दिनॉक 10 अक्टूबर, 2022 को सम्पन्न करायी गयी थी। जिसमें दिनॉक 20 जुलाई, 2022 को सम्पन्न बैठक के कुछ बिन्दुओं पर सम्बन्धित विभाग से इकाईयों को आ रही समस्या के निस्तारण हेतु करायी गयी थी। विगत बैठको के लम्बित बिन्दु उन पर कृत कार्यवाही का विवरण तथा वर्तमान बैठक हेतु नये बिन्दु निम्नानुसार है :

बैठक (दिनॉक 20 जुलाई, 2022 तथा 10 अक्टूबर, 2022) को सम्पन्न बैठक में लम्बित बिन्दुओं पर कार्यवाही :

क्र. सं.	बैठक से सम्बन्धित बिन्दु	अब तक की की गई कार्यवाही की प्रगति	सम्बन्धित विभाग
1	2	3	4
1	➢ **कालाढूंगी से कोटाबाग मोटरमार्ग के चौड़ीकरण किये जाने सम्बन्धी।** ➢ **बजूनिया हल्दू–मूसाबंगर होते हुए कोटाबाग बाजार तक के मार्ग निर्माण सम्बन्धी माग सम्बन्धी बिन्दु।**	कालाढूंगी से कोटाबाग मोटरमार्ग के चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में उद्योग मित्र की पूर्व बैठकों में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में चौड़ीकरण किये जाने हेतु 32 कि.मी. लम्बाई हेतु 73.28 लाख का प्रथम चरण के कार्य का प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0, हल्द्वानी के पत्रांक 922/13याता0–ह0/2020 दिनॉक 25–02–2021 द्वारा प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित किया गया है। अधि0अभि0,लो0नि0वि0,रामनगर द्वारा अपने पत्रांक 1960/1सी दिनॉक 26 नवम्बर, 2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि **उक्त कार्य की वर्तमान तक स्वीकृति अपेक्षित है।** उद्यमियों की मांग पर कालाढुंगी से कोटाबाग मोटर मार्ग(ग्रामीण मार्ग) के चौडीकरण किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व बैठको में अध्यक्ष महोदय के निर्देशो के क्रम में बजूनिया–हल्दू–मूसाबंगर होते हूए पतलिया गॉव से कोटाबाग बाजार तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 7 कि.मी.) के चौडीकरण हेतु अनुमानित लागत 21.00 लाख का प्रस्ताव पत्रांक 556/1 सी0 दिनॉक 26–04–2022 द्वारा अधी0 अभि0, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल को प्रेषित किया गया था जो वर्तमान में उनके पत्रांक 923/520सी–02/2022 दिनॉक 28–5–2022 द्वारा दिनॉक 06–06–2022 को खण्ड में आपत्तियों के साथ प्राप्त हुआ। आपत्ति निराकरण कर आगणन अधि0अभि0, रामनगर द्वारा अपने पत्रां 1094/1सी दिनॉक 19–07–2022 द्वारा पुनः अधी0अभि0, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0 नैनीताल को प्रेषित कर दिया गया था। अधि0 अभि0, लो0नि0वि0, रामनगर द्वारा अपने पत्रांक 1960/1सी दिनॉक 26–11–2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिक्षण अभियंता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल द्वारा अपने पत्रांक 2590/520सी0 नैनीताल–02/20–21 दिनॉक 26–07–2022 के द्वारा मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी को प्रेषित किया गया, **जो कि मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी द्वारा पत्रांक 2784/13 याता0–हल्द्वानी/2020 दिनॉक 29–10–2022 द्वारा प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित कर दिया गया है। उक्त कार्य की स्वीकृति वर्तमान तक अपेक्षित है।**	**अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रामनगर।**

2	➢ **सूर्या गांव साततालब—मोटर मार्ग निर्माण किये जाने से सम्बन्धित बिन्दु।**	सूर्यागॉव साततालब मोटर मार्ग निर्माण किये जाने सम्बन्धित प्रकरण पर विभाग द्वारा मोटर मार्ग के निर्माण के प्रथम चरण का आगणन 61.50 लाख का गठित कर अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0, नैनीताल को प्रेषित किया गया था। अधि0अभि0, लो0नि0वि0,भवाली द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सड़क के प्रस्ताव का आगणन मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी के पत्रांक 6526 / 12याता—हल्द्वानी / 2020 दिनॉक 30—12—2021 के द्वारा प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित की गयी है। दिनांक 20—07—2022 को सम्पन्न जिला उद्योग मित्र की विगत बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में **प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को अध्यक्ष / जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से पत्रांक 700—03 / जि.उ.के. / उद्योग मित्र दिनांक 27—07—2022 द्वारा आगणन प्रस्ताव पर प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिस पर शासन स्तर से स्वीकृती वर्तमान तक अपेक्षित है।**	**अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भवाली।**
3	➢ **ग्राम हरिपुर मोतिया (बेलबाबा मन्दिर से पहले) रामपुर रोड, हल्द्वानी से लगे भारत माईन्स एण्ड मिनरल्स एवं अन्य इकाईयों को जाने वाले संपर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने विशयक बिन्दु।**	ग्राम हरिपुर मोतिया (बेलबाबा मन्दिर से पहले) रामपुर, रोड हल्द्वानी से भारत माईन्स एण्ड मिनरल्स एवं अन्य इकाईयों को जाने वाले सम्पर्क मार्ग के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 20—07—2022 को सम्पन्न विगत बैठक में उपस्थित अधि0 अभि0, लो0नि0वि0 ने अवगत कराया कि खनन न्यास निधि में उक्त मार्ग का आगणन गठित कर लागत रू0 82. 51 लाख, पूर्व में ही दिनांक 06.05.2022 को प्रेषित कर दिया गया है। परन्तु सम्बन्धित मार्ग का आगणन नई Schedule of Rate (SOR) के अनुसार गठित कर भेजा जाना भी प्रस्तावित है। नई Schedule of Rate (SOR) दरें जुलाई माह में जारी होने की सम्भावना है। चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में अधि0 अभि0, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी को यथाशीघ्र औपचारिकता पूर्ण कर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। निर्दशों के क्रम में **अधि0 अभि0, लो0नि0वि0, हल्द्वानी द्वारा अपने पत्रांक 2792 / 7सी दिनॉक 07—11—2022 द्वारा उक्त सम्पर्क मार्ग का बी0सी0 / डी0बी0एम0 द्वारा नव निर्माण कार्य, लम्बाई 0.580 कि0मी0, लागत 99.15 लाख गठित कर अधी0 अभि0, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।**	**अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।**
4	➢ **ग्राम हरिपुर जमनसिंह स्थित मैसर्स डालाकोटी पेन्ट एण्ड कैमिकल फैक्ट्री एवं अन्य इकाईयों में पेय जल संकट होने विषयक बिन्दु।**	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विगत बैठकों में उत्तराखण्ड पेय जल निगम, भीमताल द्वारा अपने पत्रांक 1340 दिनांक 27.04.2022 द्वारा उक्त ग्राम हेतु संचालित योजना को दिनांक 19.01.2021 को उत्तराखण्ड जल संस्थान को हस्तांतरित किया जाना बताया है। जबकि उत्तराखण्ड जल संस्थान के पत्रांक 986 दिनांक 27.04.2022 द्वारा बताया गया कि उक्त ग्राम हेतु योजना जल निगम, भीमताल को आवंटित है। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व बैठक में जल संस्थान को सम्बन्धित क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिए जिला योजना के अन्तर्गत पेयजल लाईन निर्माण करने हेतु निर्देशित किया। **दिनांक 27—07—2022 को सम्पन्न बैठक में अध्यक्ष / जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुनः इस सम्बन्ध में अधि0 अभि0, जल संस्थान, हल्द्वानी को सम्बन्धित क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान हल्द्वानी कृपया अध्यावधिक प्रगति से अवगत करायें।**	**अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, हल्द्वानी।**

5	➢ **लीसा इकाइयों द्वारा लीसे का मूल्य अधिक होने के कारण एवं इस पर 10.50 प्रतिशत का अधिक कर होने से उद्योग बन्द होने के कगार पर है। लीसा नीलाम की शर्त संख्या 17 में दिनांक 25.09.2020 का शासनादेश का उल्लेख किया गया है व मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा समाप्त करते हुये इसे 2 प्रतिशत निर्धारित कर इससे अधिक जमा की गयी धनराशि को वापस/समायोजित किया जाये। लीसा इकाईयां 04 माह से नीलाम न होने से बंद है। इसके अतिरिक्त लीसा इकाईयों से मण्डी शुल्क भी लिया जा रहा है।**	लीसा इकाईयों द्वारा लीसे का मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी की दर 2 प्रतिशत अथवा 12.5 प्रतिशत होने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने संबंधी बिन्दु पर विगत बैठक में उपस्थित प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग द्वार अवगत कराया गया था कि, मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, उत्तराखण्ड नैनीताल के निर्देशों के अनुसार 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क वसूला जाता था। परन्तु उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग–2 के आदेश संख्या 2021/X-2-2020-15(04)2013 दिनांक 25.09.2020 के क्रम में लीसे की बिक्री पर 12.50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की वसूली कर, नीलाम में बिक्री किये गये लीसे का निस्तारण किया जा रहा है। लीसे पर 2 प्रतिशत की दर से मण्डी शुल्क एवं 0.50 प्रतिशत विकास सैस उत्तराखण्ड राज्य गठन के पूर्व से लिया जाता रहा है। बैठक में उपस्थित उप निबन्धक स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन द्वारा अवगत कराया गया कि निकाले हुये लीसे की बिक्री पर मूल्यांकन का 2 प्रतिशत, लीसे की नीलामी के आधार पर मूल्यांकन का 5 प्रतिशत तथा लीसे को लीज के आधार पर लीज वर्षों के आधार पर क्रमशः 01 वर्ष से 05 वर्ष तक मूल्यांकन के 03 गुने का 2 प्रतिशत, 06 वर्ष से 10 वर्ष तक मूल्यांकन के 04 गुने का 2 प्रतिशत, 11 वर्ष से 20 वर्ष तक मूल्यांकन के 05 गुने का 2 प्रतिशत, 21 वर्ष से 30 वर्ष तक मूल्यांकन के 06 गुने का 2 प्रतिशत एवं 30 वर्ष से अधिक वर्षों की लीज पर मूल्यांकन का 5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देय होना बताया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा विगत बैठक में दिये गये निर्देशानुसार प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग द्वारा पत्र संख्या 18–20 दिनांक 21.06.2022 प्रभाग एवं उपनिबन्धक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन हल्द्वानी द्वारा अपने पत्रांक 110 ए दिनांक 06.06.2022 द्वारा एक दूसरे को परस्पर लीसा इकाईयों से प्राप्त की जाने वाली स्टाम्प शुल्क दरों से अवगत कराया गया है। जिसकी सूचना सम्बन्धित विभागों ने इस कार्यालय को प्रेषित की है। दिनॉक 20 जुलाई, 2022 को सम्पन्न बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पृथक से सम्बन्धित विभाग से इकाईयों की बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशो के क्रम में दिनॉक 10 अगस्त, 2022 को संदर्भित प्रकरण पर बैठक में उपस्थित हिमालयन चैम्बर ऑफ कार्मस के पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण राज्य स्तर पर बैठक में निर्णय हेतु रखा जा चुका है। बैठक में उपस्थित मैसर्स पंकज इन्टरप्राईजेज, हल्द्वानी के पार्टनर श्री पंकज कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण पर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–87/एम.एस./2021, मैसर्स खुराना ब्रदर्श व अन्य बनाम राज्यादि में पारित निर्णयादेश दिनॉक 25–04–2022 एवं रिट याचिका संख्या 720/एम0एस0/2022, मै0 पंकज इन्टरप्राईजेज व अन्य बनाम राज्यादि में पारित निर्णयादेश दिनॉक 26–06–2022 द्वारा आदेश पारित किये गये है, बावजूद इसके विभाग द्वारा आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिसकी वजह से लगभग पिछले 4–5 माह से लीसे की कोई नीलामी न होने के कारण लगभग 60 इकाईया बन्द है। बिन्दु पर चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक का सन्दर्भ लेते हुए सचिव, वन विभाग एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। **महोदय के निर्देशो के क्रम में महोदय के माध्यम से सचिव, वित्त विभाग को संदर्भित प्रकरण पर पत्रांक 838–39/जि.उ.मि./2022 दिनॉक 17–08–2022 तथा सचिव, वन विभाग, वन अनुभाग, उत्तराखण्ड**	**प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल**

		शासन देहरादून को संदर्भित प्रकरण पर पत्रांक 840–41/जि.उ.मि./2022 दिनॉक 17–08–2022 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया है। संदर्भित प्रकरण पर कार्यवाही अपेक्षित है।	
6	➢ **हर्ष पैकेजिंग कोटाबाग में विद्युत की अनियमतता विगत 01 वर्ष से बनी हुयी है, जिस कारण से उद्योग बंद होने के कगार पर है।**	दिनॉक 10–08–2022 को सम्पन्न बैठक में पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अधि0अभि0, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर से तथा सम्बन्धित क्षेत्र में स्थापित इकाई स्वामियों से उक्त समस्या के निराकरण हेतु उपाय पर चर्चा हेतु कहा गया। **अधि0अभि0 द्वारा अवगत कराया गया कि समस्या के निवारण हेतु विद्युत सप्लाई के रोस्टिंग समय निर्धारित जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार कर दिये गये है।** साथ ही **लाइनों के समीप आ रही वृक्षो की टहनियों की लौपिंग–चौपिंग करा दी गयी है। कुछ वृक्ष जिनका पातन किया जाना आवश्यक है, उनके पातन हेतु वन विभाग से पत्राचार किया गया है।** उक्त के अतिरिक्त **अधि0अभि0, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर द्वारा अपने पत्रांक 5227/वि.वि.ख.(रा)/ड. दिनॉक 18–11–2022** द्वारा अवगत राया गया है कि 33/11 के0वी0 कोटाबाग से निकलने वाले 11 के0वी0सेल्सिया फीडर की लम्बाई 30 कि.मी. है, जिसमे 13 कि.मी. घने जंगल है (पाण्डे गॉव से तलिया तक 5 कि.मी., ज्योतिघाट लाईन 2 कि.मी., रूडकी से देगॉव–थपलियागॉजा 6 किमी) जिसको विभाजित करने हेतु प्रेपोजल मुख्यालय को प्रेषित किया गया था, **जिसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, निविदा आमंत्रित की जा रही है, उक्त कार्य को सम्पादित करने में लगभग 6 माह का समय लगेगा।** जिससे विद्युत व्यवधान में कमी आयेगी तथा क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुलभ हो सकेगी। नयागॉव क्षेत्र में औद्योगिक उपभोक्ता होने के कारण उक्त क्षेत्र को निर्वाध विद्युत आपूति सुलभ करने के लिए इन्टीग्रेटेड पावर डैप्लपमेन्ट स्कीम(आई.पी.डी.एस.) समेकित ऊर्जा विकास योजना के तहत ए0बी0 केबिल द्वारा नये पोषक का निर्माण किया गया था, लेकिन दैवीय आपदा के कारण कुछ स्थानों पर उक्त केबिल पेडों की टहनियॉ गिरने से क्षतिग्रस्त हो गयी थी। **उक्त कार्य वर्तमान में गारन्टी अवधि में है, जिसे अधि0अभि0(परियोजना) खण्ड हल्द्वानी द्वारा मैसर्स एस0जे0, टान्सफार्मर से ठीक कराया जा रहा है, कार्य को पूर्ण करने में लगभग 1 माह का समय लगेगा।** क्षतिग्रस्त केबिल बदलने का कार्य पूर्ण होने तक क्षेत्र को दूसरी लाईन से आपूर्ति उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही यह भी अवगत कराया कि नयागॉव क्षेत्र में संभावित औद्योगिक विकास के दृष्टिगत दीर्घकालीन निदान हेतु उक्त क्षेत्र में पूर्व में एक 33 के.वी. विद्युत उपसंस्थान प्रस्तावित किया गया था, क्षेत्र के औद्योगिक एवं स्थानीय लोगो से भूमि उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क किया गया लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण उपसंस्थान निर्माण का कार्य लम्बित है।	**अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर**
7	➢ **मै0 एन.बी. मिनरल कारपोरेशन जो उत्तराखण्ड में एक मात्र मैग्नेसाइट सप्लाई करने वाली माईन है जो कि विगत 02 साल से बंद है जिससे इस इकाई से कच्चा माल प्राप्त करने वाले कुमाऊॅ रिफैक्ट्रीज एवं**	महोदय अवगत कराना है कि मैसर्स एन0बी0मिनरल कारपोरेशन जो उत्तराखण्ड में एकमात्र मैग्नेसाइट सप्लाई करने वाली माईन है, विगत 02 वर्षो से बंद होने के कारण संबंधित इकाईयों जैसे मैसर्स कुमाऊ रिफैक्ट्रीज एवं मैसर्स नोबल कास्टेबल को कच्चा माल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यह प्रकरण पूर्व की बैठकों में भी प्रस्तुत किया जाता रहा है, जिस पर विगत बैठकों में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित पत्र क्रमशः पत्र संख्या 1496–97 दिनांक 31.12.2019 एवं 604–05 दिनांक	**उपनिदेशक खनन**

	मै0 नोवल कास्टेबल भी बंद पडी है।	07.08.2021 द्वारा अपर मुख्य सचिव खनन को प्रेषित किया गया था। विगत बैठक दिनांक 20–07–2022 को **अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पुनः अपर मुख्य सचिव (खनन), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को अध्यक्ष महोदय द्वारा हस्ताक्षरित अनुस्मारक पत्र संख्या 697–99 दिनांक 27–07–2022 प्रेषित किया गया है। जिस पर कार्यवाही शासन स्तर पर अपेक्षित है। प्रकरण राज्य स्तरीय उद्योग मित्र में रखे जाने हेतु भी कार्यालय द्वारा अग्रसारित कर दिया गया है।**	
8	➢ **सोप स्टोन के भण्डारण विषयक बिन्दु।**	दिनॉक 20 जुलाई, 2022 को सम्पन्न जिला उद्योग मित्र की बैठक में अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा पृथक से सम्बन्धित विभाग के साथ इकाईयो की बैठक कराने हेतु निर्देशित किया गया तद्क्रम में दिनांक 10–08–2022 को सम्पन्न बैठक में सोप स्टोन के भण्डारण हेतु हिमालयन चैम्बर्स के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि, सोप स्टोन के भण्डारण हेतु अलग से लाईसेंस की आवश्यकता है, परन्तु पुरानी रिपोर्ट के आधार पर ही सोप स्टोन के भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाये। बैठक में चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। "भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी के द्वारा अपने पत्रांक 1173/भू0खनि0ई0/उ0मित्र बैठक/2022–23 दिनॉक 26–11–2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि **उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021** के प्राविधानुसार **राज्य क्षेत्रान्तर्गत रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा गठित समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी के द्वारा पांच वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी। इस स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।** वर्तमान में प्रख्यापित उपरोक्त नीति के प्राविधानानुसार सोपस्टोन भण्डारण अनुज्ञा हेतु प्राप्त आवेदनो पर नियमानुसार कार्यवाही गतिमान है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि वर्तमान में प्रख्यापित **उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्सस प्लान्ट अनुज्ञा नीति 2021** के प्राविधानानुसार **पल्वराइजर प्लान्ट की स्थापना/संचालन तथा प्लान्ट परिसर में खनिज सोपस्टोन, लाइमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति गठित समिति की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा पांच वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी। पूर्व में स्थापित/संचालित ऐसे पल्वइराइजर प्लान्ट, जिनके द्वारा अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई हो, को भी इस नीति के तहत अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।"**	**उपनिदेशक खनन/अपर जिलाधिकारी (वि/रा), नैनीताल।**
9	➢ **जोशी इन्टरप्राइजेज द्वारा सोलर पावर प्रोजेक्ट हेतु रू0 284.00 लाख का ऋण चाहने हेतु आवेदन पत्र CGTSME के अन्तर्गत पंजाब नेषनल बैंक में दिनांक 25.05.2022 को किया है। जिसकी पत्रावली क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक में लम्बित है।**	विगत बैठक दिनांक 10–08–2022 को सम्पन्न बैठक में संबंधित प्रकरण के सम्बन्ध में पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि द्वारा मै0 जोशी इन्टरप्राइजेज द्वारा बैंक में प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कतिपय कमियों के कारण उक्त ऋण स्वीकृत न होना बताया गया था। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारियों एवं इकाई स्वामी से यथाशीघ्र बैठक कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आ रही खामियों का निवारण कर ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये थे। **प्रकरण पर बैंक द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया है कि श्री जोशी द्वारा उनके बैंक से आवेदन वापस ले लिया गया है तथा वर्तमान में यूनियन बैंक आफ इण्डिया में उक्त आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है।**	**मण्डल प्रभारी, पंजाब नेशनल बैंक**

10	➢ **स्वरोजगार प्रशिक्षुओं और ग्राम स्वंय सहायता समूह के द्वारा निर्मित सामान को बाजार आउटलेट उपलब्ध कराये जाने हेतु डोलमार (भुजियाघाट) में स्थान उपलब्ध कराये जाने विषयक बिन्दु**	श्री नानक चन्द लोहिया द्वारा बाजार आउटलेट उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धित बिन्दु पर विगत बैठक दिनांक 20–07–2022 में उपस्थित अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के प्रतिनिधि द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि पूर्व में श्री लोहिया जी को उक्त स्थान पर आउटलेट संचालित किये जाने हेतु स्थान आवंटित किया गया था परन्तु उनके द्वारा कार्य आरम्भ न किये जाने के कारण आवंटन निरस्त कर दिया गया था। उद्यमी श्री लोहिया की मांग पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अपर मुख्य अधिकारी पंचायत को उक्त स्थान पुनः आवंटित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। निर्देशो के क्रम में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा अपने पत्रांक 653/I-11/2022–23 दिनॉक 22 नवम्बर, 2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में उक्त स्थल पर हाट बाजार लगाये जाने हेतु स्वीकृती प्रदान की गयी थी, किन्तु हाट–बाजार का संचालन नहीं होने के दृश्टिगत वर्तमान में हाट–बाजार बन्द है। कार्यालय द्वारा सम्बन्धित हाट–बाजार बन्द किये जाने हेतु कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। प्रश्नगत स्थल पर **जिला पंचायत के स्वामित्व की कोई भूमि नहीं है। यदि आवेदनकर्ता के पुनः हाट–बाजार लगाये जाने हेतु कार्यालय जिला पंचायत, नैनीताल में आवेदन करते है तो कार्यालय द्वारा स्थलीय निरीक्षण के पश्चात हाट–बाजार संचालन किये जाने की प्रक्रिया प्रस्तावित की जायेगी।**	**अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, नैनीताल**

नये बिन्दु : हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कार्मस एवं इण्डस्ट्रीज, हल्द्वानी एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त

1	➢ मैसर्स आदित्य इन्डस्ट्रीज, नया गॉव कालाढूंगी द्वारा विगत दो वर्षो से विद्युत आपूर्ति सुचारू न होने के सम्बन्ध में तथा एक दिन में 10 से 15 बार विद्युत कटौती होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ➢ मैसर्स मिशो फ्रेश प्रा0लि0, बजुनिया हल्दू के प्रो0 श्री दीपक मिश्रा द्वारा कोटाबाग के बजुनिया हल्दू स्थित इलैक्ट्रिक लाइन से जुड़े ग्रिड पर विद्युत लाइन पर भारी संख्या में कटौती के कारण व्यवसाय चलाने में आ रही कठिनाई के सम्बन्ध में। ➢ मैसर्स पूजा प्रिन्ट पैक, ग्राम पतलिया कोटाबाग के प्रो0 श्री हेमंत विष्ट द्वारा बार–बार विद्युत कटौती होने के कारण इकाई के संचालन में आ रही कठिनाई के सम्बन्ध में। ➢ मैसर्स फुलारा हैचरी एण्ड ब्रिडिंग फार्म, ग्राम पुरनपुर, तहसील कालाढुंगी के प्रो0 श्री प्रकाश चन्द्र फुलारा, द्वारा विद्युत के सुचारू संचालन न किये जाने के कारण आ रही समस्या के सम्बन्ध में। ➢ उपसंस्थान कोटाबाग में पहाड़ी क्षेत्र के लिए पृथक से फीडर की मांग पर फीडर नहीं बन पाने के सम्बन्ध में।	**अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर।**
2	➢ मैसर्स डालाकोटी पेन्ट एण्ड केमिकल द्वारा अवगत कराया गया है कि, उनकी इकाई ब्याज उपादान योजना हेतु पात्र है, पूर्व में इकाई को ब्याज उपादान मिलता रहा है। वर्तमान में मात्र बैंक बदलने से उपादन नहीं मिल पा रहा है। इकाई के कार्यालय पत्रांक 1275 दिनॉक 29 नवम्बर, 2022 द्वारा सम्बन्धित इकाई को तद्सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी से अवगत करा दिया गया था। साथ ही कार्यालय पत्रांक 1613–सी दिनॉक 21 जनवरी, 2023 जोकि निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय देहरादून को सम्बोधित है व इकाई को पृष्ठांकित है के द्वारा इकाई से सम्बन्धित प्रकरण पर पूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है।	**महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी।**
3	➢ मैसर्स डालाकोटी पेन्ट एण्ड केमिकल द्वारा MSME D Act-2006 सुकरीकरण परिषद की एक बैठक हल्द्वानी में आयोजित कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। सुनवाई के बाद राशि की वसूली की प्रक्रिया व अपील सुरकता परिषद के माध्यम से ही करने सम्बन्धी नियम बनाये जाने तथा विवादित राशि की वसूली हेतु स्टाम्प शुल्क को समाप्त किये जाने तथा वसूली की व्यवस्था भू–राजस्व की भांति किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में उद्योग निदेशालय को संज्ञानित करा दिया जाएगा।	**महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी।**

4	➢ मैसर्स डालाकोटी पेन्ट एण्ड केमिकल द्वारा नैनीताल नारायण नगर में होने वाली लीसे की नीलामी पूर्व की भांति हल्द्वानी में किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। ➢ हिमालयन चैम्बर द्वारा लीसा इकाईयों का पंजीकरण/नवीनीकरण एवं संचालन हेतु पूर्व की भांति प्रभागीय वन अधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग से कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।	**प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग नैनीताल।**
5	➢ हिमालयन चैम्बर द्वारा उद्योगों की समस्याओं के निस्तारण हेतु राज्य स्तरीय बैठक का संचालन किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में उद्योग निदेशालय को संज्ञानित करा दिया जाएगा।	**महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी।**
6	➢ हिमालयन चैम्बर्स द्वारा रामपुर रोड हल्द्वानी पर स्थापित इकाईयों में पीने के पानी की समस्या के निवारण किये जाने का अनुरोध किया गया है।	**अधि0 अभि0 जल संस्थान, हल्द्वानी।**
7	➢ हिमालयन चैम्बर्स के द्वारा इकाई मै0 पिनेकल के भूमि ट्रांसफर पर स्टाम्प ड्यूटी छूट के सम्बन्ध में।	**उपनिबन्धक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, हल्द्वानी।**
8	➢ मिनी औद्योगिक आस्थान बेतालघाट के भूखण्ड सं0 6 से 11 जिसका क्षेत्रफल 1391.80 वर्ग मी0 है, जो श्री वंशीलाल जलान पुत्र श्री हनुमान दास जलान, प्रो0 सुजाता ज्वैलर्स, इण्डस्ट्रीज के नाम से चूड़ी निर्माण हेतु आवंटित है। आवंटी ने नोटराईज शपथ पत्र 11–11–2022 के द्वारा स्वास्थ्य खराब होने के कारण उपरोक्त भू–खण्डों को श्री राहूल अरोड़ा पुत्र श्री पी.डी.अरोड़ा निवासी–धीनाई डेरी, पो0–भतरौजखान को हस्तानान्तरित करना चाहते हैं। हस्तान्तरणग्राही द्वारा उक्त भू–खण्डों में रेडीमेड गारमेंट की इकाई संचालित करने हेतु आवेदन किया गया है। भू–खण्ड हस्तानान्तरण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 999/VII-2/34-MSME/2016 दिनॉक 26–5–2016 के प्रस्तर 15 के बिन्दु (ख) तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 1031()VII-3-20/34-एम0एस0एम0ई0/2016 दिनॉक 28 सितम्बर, 2020 के अनुसार हस्तानान्तरण के मामलों में हस्तानान्तरण हेतु संस्तुति देने का अधिकार जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र को है, उद्योग मित्र की संस्तुति के आधार पर औद्योगिक आस्थान के भूखण्डों/शेडो के हस्तानान्तरण की अनुमति निदेशक उद्योग द्वारा प्रदान की जाएगी। प्रकरण संस्तुति हेतु प्रस्तुत है।	**महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी।**

अन्य बिन्दु–अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।